न्यायालय तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला–अजमेर

मुकदमा नं. 04/2021

किस्म मुकदमा अन्तर्गत् धारा 91
राज. भू राजस्व अधि. 1956

बयान

सरकार जरिये प0ह0 रोडावास बनाम श्री हीरराम, हजारीराम, रामसुख,
जाति गुर्जर
~~पुत्र श्री~~ सोनाराम/पु0 ~~स्व0~~ सोहन
निवासी रोडावास

निर्णय दिनांक 5/2/2021

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल से लायी जाती है। अतः मामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रोडावास के आराजी खसरा नं. 144 किस्म बा.3 रकबा 1.2863 है. पर काश्त कर सम्वत् 2077 में कब्जा कर लिया जिसकी रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत् 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया ।

अप्रार्थी बावजूद सूचना के भी गैर हाजिर रहे, नही उनकी और से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। स्पष्ट है कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते है।

अतः अप्रार्थी को ग्राम रोडावास की आराजी खसरा नं. 144 किस्म बा.3 रकबा 1.2863 है. से बेदखल किया जाता है तथा लगान 2.55 का 50 गुणा 130/- रूपये जुर्माना किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पट~~बासी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को निलामी~~ कर ~~कर्ज स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें~~।

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो। पत्रवाली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2020-21 रा.हो.रा. के पृष्ठ संख्या 79 पर रु. 130/- की मांग कायमी की गई।
12/2/21
तहसील राजस्व अधिकारी

तहसीलदार
रूपनगढ़ (जिला अजमेर)